



पंचदश

बिहार विधान-सभा

घोडश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

बर्ग-1

सोमवार तिथि 30 चैत्र, 1937 (४०)
20 अप्रील, 2015 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 02

(1) कारा-विभाग	01
(2) सामाजिक प्रशासन विभाग	01
कुल योग —	02

स्वापित करना

36. श्री अब्दुल बारी सिहिकी—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह कलताने को कृपा करेंगे कि—

(1) वर्ग यह बात सही है कि गया जिलान्वार्पत नीमचक बधानी के अति पिछड़ा, उग्रवाद प्रभावित, अविकसित एवं भौगोलिक ड्रिटिकोण से सुदूर देहाती होने के कारण सरकारी अधिसूचना संख्या 61, दिनांक 31 मार्च, 1998 द्वारा इसे अनुमंडल का भूखण्डलय बनाया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकारी अधिसूचना संख्या 1088, दिनांक 29 अक्टूबर, 2007 द्वारा गोपनीय वस्तुओं अनुमंडल प्रख्यालय को स्थानान्तरित कर रखिये सराय में स्थापित किया गया;

(3) यदि उपर्युक्त छंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो नीमचक बधानी से हटाकर 25 किलोमीटर दूर खिजर सराय में अनुमंडल भुख्यालय स्थापित करने का क्या अधिकार है तथा सरकार अवश्यक उसे पूर्ण स्थान नीमचक बधानी में वापस लाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का विवाचण

"क"-३७. श्री अरुण शंकर प्रसाद--क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बहलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 56 कारणों के 1,118 चैरकॉ में 30,159 पुरुष कैदी तथा 1100 महिला कैदी कल समिकार 31,259 कैदी हैं;

(2) क्या यह चात सही है कि जेलों में बद कौदियों को मानवाधिकार सुविधा के तहत टी0वी0 एवं डी0वी0डी0 लगाने हेतु रश्य सरकार ने वर्ष 2013 में घोषणा की थी तथा सरकार ने बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (बेल्ट्रॉन) को सौंपा था उक्त योजना में पाँच करोड़ की प्राक्कलन की स्थीकृति सरकार ने दी थी तथा बेल्ट्रॉन ने 5 सितम्बर, 2013 को नियिदा किया परन्तु सरकार द्वाय गयी मुहैया नहीं करने के कारण योजना प्रारंभ नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त योजना को क्रियान्वयन करने एवं कैटियों को मानवाधिकार सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है ?

४८

दिनांक 20 अप्रैल, 2015 (₹०)

हरेराम मन्त्रिया

प्राप्ति सचिव

बिहार विधान-सभा ।

नोट—“क”—गह (आरक्षी) विभाग से कारा विभाग को स्थानान्तरित।